Form No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ
केशराराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी लाछड़सर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू बनाम बाबूलाल आदि

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 227/2024 U/S 212 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
29.11.2024	आज यह प्रार्थना पत्र केशराराम ने जरिये श्री गणेशाराम चौधरी अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थीगण ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरणं प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 1007 तादादी 8.0700 हैक्टयर वाकेराही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ में आगामी तारीख पेशी तक मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 20.01.2025 को आकर पेश करें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 20.01.2025 को पेश हों । उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
20.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। SDO Sb. अवकाश पर होने के कारण पत्रावली वास्ते Reg Avtalbi हेतु दिनांक 05.02.2025 को पेश हों। रीडर	
05.3.2025	पत्रावली पेश हुई [illegible] अनुपस्थित। मूलवाद [illegible] [illegible] पत्र इतिरन्तर पर [illegible] वाद [illegible] [illegible] आपेरा [illegible] उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:02:52 IST
Reason: SelfAttested